ओ0पी0 सिंह,
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र संख्या–33/2019

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
गोमती नगर विस्तार–7
पुलिस मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
दिनांकः जुलाई 29, 2019

प्रिय महोदय,

कृपया आप सभी अवगत है कि महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम करना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। आप सभी को महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों की रोकथाम और इनकी विवेचना में अपनायी जाने वाली प्रकिया के संबंध में समय–समय पर आवश्यक दिशा–निर्देश इस मुख्यालय के पार्श्वांकित परिपत्रों के माध्यम से दिये गये है। आप सभी सहमत होंगें कि महिलाओं एवं नाबालिग बालिकाओं के साथ घटित होने वाले अपराध जैसे– ऐसिड अटैक, बलात्कार, अपहरण, छेड़खानी, चेन स्नैचिंग इत्यादि की घटनायें अत्यन्त निन्दनीय है।

परिपत्र सख्या–29/07,दि0 30.06.07
परिपत्र संख्या–48/07,दि0 12.07.07
परिपत्र संख्या–45/08,दि0 15.04.08
परिपत्र संख्या–04/10,दि0 22.01.10
परिपत्र संख्या–16/13,दि0 29.04.13
परिपत्र संख्या–38/14,दि0 07.06.14
परिपत्र संख्या–04/15,दि0 14.01.15
परिपत्र संख्या–10/16,दि0 22.02.16

इन घटनाओं से जनसामान्य में पुलिस की गरिमा एवं छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि महिलाओं के विरूद्ध घटित होने वाले अपराधों एवं उनके उत्पीड़न की रोकथाम के लिए अपने–अपने जनपद की विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए एक प्रभावी कार्ययोजना (SOP) तैयार कर इस प्रकार की कार्यवाही कराएं जिससे जनपद के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध हो सके। उक्त के दृष्टिगत अपनी कार्ययोजना में आप निम्न बिन्दुओं का समावेश करें :–

1. **<u>सार्वजनिक स्थानों पर सादे वस्त्रों में चेकिंगः–</u>** जनपद में सार्वजनिक स्थानों (स्कूल, कालेज, बाजार, मॉल, पार्क, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन आदि) जहां महिलाओं का आवागमन नियमित एवं निरन्तर होता है, की सतत् निगरानी सुनिश्चित करायें। यह उचित होगा कि इन स्थानों पर निगरानी सादे वस्त्रों में पुलिस कर्मियों (जिसमें महिला पुलिस कर्मी भी समुचित रूप से सम्मिलित हो) द्वारा की जाये ताकि अवांछनीय/आपत्तिजनक गतिविधियॉ करने वाले व्यक्तियों को उसी समय चिन्हित कर उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा सके, ऐसी तत्परता पूर्वक कार्यवाही जनसामान्य में पुलिस के प्रति विश्वास को सुदृढ करती है वहीं अपराधियों में भी ऐसी कार्यवाही से कानून का भय व्याप्त होता है। जनपद में उपलब्ध बॉडी वार्न कैमरों का प्रयोग इस कार्य में करना उपयोगी होगा जिससे मौके पर ही अपचारियों के विरूद्ध संगत साक्ष्य संकलित किया जा सकेगा।
2. **<u>सार्वजनिक स्थानों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरें लगानाः–</u>** इन स्थानों पर संस्थान के प्रबंधकों से वार्ता कर सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगवाने की भी कार्यवाही की जाए। उपरोक्त चिन्हित स्थानों पर उपरोक्त निगरानी/चेकिंग पुलिस व्यवस्था के अतिरिक्त थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ समय/स्थान बदल–बदल कर पैदल गस्त करना भी सुनिश्चित करें एवं अपनी टीम की महिला पुलिस कर्मियों के माध्यम से ऐसे स्थानों पर आने वाली महिलाओं एवं बालिकाओं से वार्ता कर उनके अन्दर विश्वास का भाव संचारित करायें।

Scanned by CamScanner

3. **बालिका विद्यालयों/कालेजों के प्रधानाचार्य व अध्यापकों से संवादः–** थानाध्यक्ष/क्षेत्राधिकारी अपने–अपने क्षेत्र में स्थित बालिका/महिलायें विद्यालयों/कालेजों के प्रबन्धकों/प्रधानाचार्यों व अध्यापकों से सम्पर्क करें। इस हेतु समय–समय पर उनके साथ गोष्ठी कर संवाद स्थापित करते हुये उनसे शोहदो/मनचलों के बारे में जानकारी एकत्रित करते हुए उनके विरूद्व कार्यवाही की जाये।
4. **महिला सुरक्षा हेतु उ0प्र0 पुलिस के तकनीकी फीचर्स से महिलाओं एवं बालिकाओं को परिचित कराया जानाः–** महिला पुलिस कर्मी/महिला पुलिस अधिकारी इन विद्यालयों/महाविद्यालयों की छात्राओं/महिला शिक्षिकाओं को अपनी सुरक्षा के प्रति सजग करें तथा उन्हें आवश्यकता पड़ने पर 1090 एवं 100 नम्बर डायल कर पुलिस की सहायता प्राप्त करने के सम्बन्ध में जागरूक करें तथा वीमेन पावर लाइन–1090 द्वारा तैयार NEO APP पर मदद लिये जाने के सम्बन्ध में इस ऐप के फीचर से परिचित करायें। कालेज/विद्यालयों/विश्वविद्यालयों की छात्राओं को अपने विरूद्ध हो रहे अपराधों एवं उत्पीड़न की सूचना तत्काल पुलिस को देने के लिए भी प्रेरित किया जाये और उन्हें यह आश्वासन दिया जाय कि उनकी पहचान को सार्वजनिक नहीं किया जायेगा और उनके द्वारा दी गयी सूचना पर तत्काल कार्यवाही की जायेगी।
5. **आपातकालीन परिस्थितियों में महिलाओं की सुरक्षा हेतु यूपी–100 की कस्टमाइज सेवा का प्रचार–प्रसारः–** महिला सम्बन्धी समस्याओं जैसे छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न आदि आपातकालीन परिस्थिति में महिलाओं/बालिकाओं की मदद हेतु यूपी–100 के द्वारा फोन व अन्य माध्यमों जैसे Twitter- @up100, Facebook- @callup100 अथवा Whatsapp No. 7570000100 एवं SMS No. 7233000100 से तत्काल वांछित सेवा एवं सहयोग उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है। उक्त के अतिरिक्त **नेशनल इमरजेंसी हेल्पलाइन नं0 112,** जो एक इमरजेंसी लोकेशन बेस्ड (**ELS**) सर्विस इण्डिया मोबाइल एप है तथा यूपी–100 द्वारा विकसित **सिटीजन इमरजेंसी सर्विस एप** में एक पैनिक SOS बटन लगा है, जो एक लोकेशन बेस्ड सर्विस है, जिसके द्वारा यदि कोई महिला किसी सार्वजनिक स्थान/यातायात वाहन में सफर के दौरान किसी व्यक्ति के अनुचित कार्यों के कारण असहज महसूस करती है, तो वे इसकी सेवा का लाभ ले सकती हैं, जिससे पीड़िता का रियल टाइम लोकेशन ज्ञात हो जाता है और पीआरवी वैन उस लोकेशन पर तत्काल पहुँचकर उनकी मदद करती है।
6. **महिला महाविद्यालय/बालिका विद्यालय में एक शिकायत पेटिकाः–** प्रत्येक महिला महाविद्यालय/बालिका विद्यालय मे एक शिकायत पेटिका लगवायी जाय तथा महिला विद्यार्थियों के मध्य प्रचारित–प्रसारित कराया जाय कि यदि कोई व्यक्ति उन्हें अथवा अन्य महिलाओं को प्रमुख रास्ते अथवा जगह पर परेशान करता है तो इस संबंध में वे अपनी शिकायत 'शिकायत पेटिका' में डाल सकती हैं, जिसमें शिकायतकर्ता का नाम डालना अनिवार्य नहीं होगा। इस शिकायत पेटिका को सप्ताह में दो–बार सम्बन्धित थाने की महिला उपनिरीक्षक/आरक्षी के द्वारा खोला जाय और प्राप्त शिकायतों को थानाध्यक्ष/क्षेत्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाये, जिसपर नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जाय तथा इसका अभिलेखीकरण भी किया जाये।

Scanned by CamScanner

7. **कक्षा प्रारम्भ/छूटने के समय पुलिस की उपस्थितिः–** प्रायः प्रत्येक जनपद में विभिन्न प्रकार के कोचिंग संस्थान निरन्तर खुल रहे है। इन कोचिंग संस्थानों एवं जनपद के अन्य कालेजों, विद्यालयों में काफी संख्या में लड़कियों का आना–जाना होता है। ऐसे स्थानों पर कक्षा प्रारम्भ/छूटने के समय पुलिस की उपस्थिति सुनिश्चित करायी जाय। इन स्थानों के आस–पास अनावश्यक रूप से खड़े लड़कों/शोहदों से पूछतांछ की जाय। इस हेतु गठित एंटी रोमियो स्क्वायड को भी सम्मिलित किया जाय। कोचिंग संस्थानों के प्रबन्धकों से वार्ता कर संस्थानों के अन्दर और बाहर सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाने की कार्यवाही करायी जाये।

8. **शहर के बाहरी छोर (Outskirt) एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी से दूर स्थित बालिका विद्यालय/महाविद्यालय के समीप पुलिस निगरानीः–** शहर के बाहरी छोर (Outskirt) एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी से दूर स्थित बालिकाओं के विद्यालयों/कोचिंग संस्थनों को एंण्टी रोमियो स्क्वायड के कार्यक्षेत्र में अवश्य रखा जाये तथा आवश्यकतानुसार टीम के सदस्यों की बदली कर लगाया जाये, ताकि टीम के सदस्यों की पहचान उजागर न हो। यू0पी0–100 के पी0आर0वी0 वाहन की लोकेशन भी इस मार्ग पर अवश्य रखी जाये।

9. **कम भीड़ वाले अथवा निर्जन स्थान में स्थित बालिका विद्यालय/महाविद्यालय को जाने वाले मार्गों पर आकस्मिक चेकिंगः–** आप अपने जनपदों की भौगोलिक परिस्थितियों का आंकलन कर लें तथा महिलाओं के विद्यालय/हॉस्टल, कोचिंग संस्थानों, धार्मिक स्थलों की ओर जाने वाले ऐसे मार्गो को चिन्हित करें, जो या तो कम भीड़ वाले है अथवा निर्जन स्थान पर स्थित है। ऐसे स्थानों पर नियमित गश्त की व्यवस्था विशेषकर विद्यालय एवं महाविद्यालयों में कक्षाओं के प्रारम्भ एवं छुट्टी के समय सुनिश्चित की जाये।

10. **महिलाओं के विरूद्ध सार्वजनिक स्थान एवं मार्ग पर होने वाले अपराधों के दृष्टिकोण से संवेदनशील स्थानों (HOT SPOT) का चिन्हीकरणः–** समस्त थानाध्यक्ष/क्षेत्राधिकारी जब भी अपने क्षेत्रों में जाते है, तो महिलाओं के विरूद्ध हो रहे अपराधों के दृष्टिकोण से संवेदनशील स्थानों का भ्रमण अवश्य करें एवं यथा सम्भव कालेजों/कोचिंग संस्थानों इत्यादि के प्रबन्धकों से सतत् रूप से सम्पर्क में रहें और उनके द्वारा दी जाने वाली सूचना को गम्भीरता से लें।

11. **मार्निंग वॉक के दौरान पुलिस पेट्रोलिंगः–** अपने–अपने जनपदों के उन पार्को एवं वहॉ आवागमन के रास्तों इत्यादि को चिन्हित कर लें, जहॉ प्रातः काल में अधिक संख्या में महिलायें भ्रमण करती हों के स्थानों पर होने वाली चेन स्नैचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए प्रातः काल इन स्थानों पर मोटर साईकिल से मोबाइल टीम द्वारा गस्त करायी जाये। मंदिरों एवं धार्मिक स्थानों पर भी मोटर साईकिल से मोबाइल पुलिस टीम से गस्त करायी जाये। ज्यादातर चेन स्नैचिंग की घटनायें मोटर साईकिल सवार युवा लड़के करते है। अतः इन घटनाओं को रोकने के लिए मोटर साईकिल से मोबाइल पुलिस टीम लगाया जाना अत्यन्त महत्वपूर्ण है, ताकि घटना होने पर तत्काल अपराधियों का पीछा किया जा सके। घटना होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखने में टालमटोल न की जाये। चेन स्नैचरों का पता लगाकर उनकी नियमानुसार गिरफ्तारी की जाये एवं हिस्ट्रीसीट खोलने पर विचार/परीक्षण किया जाये।

Scanned by CamScanner

12.तत्परतापूर्वक एवं संवेदनशील रिस्पांसः– महिलाओं/बालिकाओं के उत्पीड़न की सूचनाओं को गम्भीरता से लिया जाना चाहिए। इस प्रकार की सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा तुरन्त होकर वैधानिक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जाये, ताकि सामान्य घटना महिलाओं के विरूद्ध गम्भीर अपराध में परिवर्तित न हो सके। जो पुलिस कर्मचारी ऐसी घटनाओं के पंजीकरण में अपेक्षित संवेदनशीलता नही दिखाते है। उनके विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जाये।

13.महिला सम्बन्धी अपराधों का पंजीकरण एवं समयबद्व निष्पक्ष विवेचना सुनिश्चित करानाः– महिलाओं एवं बालिकाओं की गुमशुदगी एवं अपहरण की घटनाओं की प्रथम सूचना रिपोर्ट तत्काल पंजीकृत की जाये, इनकी विवेचनाओं को गम्भीरता से लिया जाये। प्रायः पुलिस इन घटनाओं को प्रेम प्रसंग होने की संज्ञा देकर प्रकरण को गम्भीरता से नही लेती है, जिसके कारण कई बार इसकी परिणति महिलाओं के विरूद्ध गम्भीर अपराध के रूप में होती हैं। इस प्रवृत्ति पर तत्काल अंकुश लगाया जाय। अपहरण एवं गुमशुदगी की सूचना को गम्भीरता से लेते हुए तत्काल वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। वैज्ञानिक तथ्यों का समावेश विवेचना में अवश्य किया जाये, पर्यवेक्षण अधिकारी इस दिशा में अपना मार्गदर्शन विवेचक को अवश्य दें। पॉक्सो एक्ट की विवेचना में माननीय उच्चतम न्यायालय एवं संगत विधिक उपबन्धों का अनुपालन अवश्य किया जाये। विवेचना के दौरान पीडिता द्वारा दिये गये सूचना को गम्भीरता से लेते हुये नियमानुसार विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाये। किसी भी परिस्थिति में पीडिता की गरिमा प्रभावित न हो।

14.रेल यात्रा के दौरान महिला सुरक्षाः– ट्रेनों में भारी संख्या में महिलायें एवं बालिकायें सफर करती हैं, दुश्चरित्र प्रवृति के व्यक्ति उनके साथ गलत व्यवहार न करने पाये, इसके लिये यह आवश्यक है कि रेलवे में ट्रेन की कोच में जी0आर0पी0 की हेल्प लाइन नम्बर दृश्य स्थानों पर प्रदर्शित किया जाये एवं ट्रेन में ड्यूटी पर नियुक्त सुरक्षा कर्मियों को निर्देशित किया जाये कि वे ऐसे तत्वों को चिन्हित करें एवं किसी भी महिला एवं बालिका के द्वारा इस सम्बन्ध में उन्हे परेशान किये जाने की सूचना प्राप्त होने पर तत्परतापूर्वक कार्यवाही करें। उनकी शिकायतों को गम्भीरता से लें एवं उच्चाधिकारियों को तुरन्त संज्ञानित करें।

15.सुरक्षित सार्वजनिक सड़क यातायात (Public Road Transport):– सार्वजनिक यातायात के साधनों यथा बस, ऑटो, टैक्सी का प्रयोग समाज के सभी वर्गों के द्वारा किया जाता है, जिसमे महिलायें भी सम्मिलित हैं। आजकल ओला, उबर सरीखी कम्पनियॉ, जो मोबाइल एप बेस्ड है, का प्रयोग बहुत तेजी से हो रहा है। इन यातायात के साधनों में महिलाओं की यात्रा को सुरक्षित बनाये रखने हेतु यह आवश्यक है कि ऐसे वाहनों के चालकों का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन पूरी गम्भीरता से कराया जाये। यदि ऐसे किसी भी चालक के विरूद्ध महिला अपराध सम्बन्धी कोई अभियोग या शिकायत पंजीकृत है, तो उसे ऐसी सेवा में कदापि न रहने दिया जाये। उक्त के निमित्त ऐसे वाहनों के स्वामियों अथवा कम्पनियों को तत्काल सूचित कर उन्हे इस सेवा से हटवा दिया जाये। ऐसे यातायात के साधनों में सफर कर रही महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षित यात्रा हेतु जागरूक किये जाने के सम्बन्ध में जागरूकता कार्यक्रम चलाये जायें।

Scanned by CamScanner

16. **गुमशुदा बच्चों के सम्बन्ध में वेबसाईटः–** गुमशुदा बच्चों एवं लड़कियों के सम्बन्ध में आवश्यक सूचनाओं को तत्काल (http://trackthemissingchild.gov.in) वेवसाइट पर अपलोड किया जाय तथा इस वेवसाइट के माध्यम से इन्हें खोजने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

17. **महिला सम्बन्धी अपराधों का रजिस्टरः–** प्रत्येक थाने पर महिला सम्बन्धी अपराधों का शीर्षकवार रजिस्टर बनाया जाये तथा इसमे समस्त विवेचनात्मक कार्यवाहियों का ब्यौरा रखा जाये। विवेचनोपरान्त जब अभियोग मा0 न्यायालय में प्रेषित किया जाये तो उक्त की प्रभावी पैरवी हेतु समस्त वांछित प्रविष्टियॉ इस रजिस्टर में अद्यतन रखी जाये। प्रभारी निरीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी इसका सम्यक अवलोकन करें।

18. **महिला अपराधों के अभ्यासी अपचारियों के विरूद्ध कार्यवाहीः–** जनपद स्तर पर महिला सम्बन्धी अपराधों के थानावार आंकड़े डीसीआरबी में अद्यावधिक रखे जाये। ऐसी अपराधी जो बार–बार महिला सम्बन्धी अपराध कारित करते हैं, उनकी निरन्तर निगरानी की जाये तथा उनके विरूद्ध विधि के अनुरूप कार्यवाही की जाये।

19. **मानव तस्करीः–** ऐसे व्यक्ति एवं गिरोह, जो महिलाओं एवं बालिकाओं की मानव तस्करी में लिप्त पाये जाते हैं, उनके सम्बन्ध में डोजियर तैयार किया जाये। ऐसे गिरोह को सूचीबद्व कर इस कार्य में संलिप्त पूरे रैकेट का पर्दाफाश किया जाये तथा सभी दोषियों के विरूद्ध विधि संगत कठोर कार्यवाही की जाये। इस कार्य के लिये जनपदों में स्थापित AHTU का सक्रिय भूमिका अपेक्षित है।

20. **सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाहीः–** आप अवगत ही है कि राज्य सरकार सार्वजनिक स्थानों पर मदिरापन के प्रति कठोर नीति रखती है। आपको निर्देशित किया जाता है कि आप यह सुनिश्चित करेंगे कि प्राधिकृत मदिरा की दुकानों से क्रय करने के उपरान्त किसी भी प्रकार से उक्त मदिरापन सार्वजनिक स्थल या सड़कों पर न किया जाये क्योंकि इससे न सिर्फ लोक न्यूसेंस उत्पन्न होता है और समाज के व्यक्तियों विशेषकर महिलाओं में भय उत्पन्न होता है तथा अल्प व्यस्कों पर भी इसका दुष्प्रभाव होता है और यह विभिन्न प्रकार की बलवा के अपराधों तथा सड़क दुर्घटनाओं का भी कारण बनते हैं। इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका पी0आई0एल0 संख्या– 41593/2011 अखिल भारतीय सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.08.2017 के क्रम में उत्तर प्रदेश शासन ने अपने पत्र सं0 1836पी/छः–पु–3–2017–67पी/2014 दिनांक 26.08.2017 के द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर अवैध रूप से शराब बेचने वालों/अवैध रूप से शराब परोसने व पिलाने वालों तथा शराब पीने वालों की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश दिये गये हैं तथा यह भी अंकित किया गया है कि यदि उपरोक्त विषय में शिथिलता बरतने के वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध इस सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये। अतः इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये ताकि समाज के व्यक्तियों विशेषकर महिलाओं में सुरक्षा की भावना सुदृढ़ हो।

Scanned by CamScanner

21.<u>महिलाओं के साथ पुलिस जनों द्वारा भद्र एवं गरिमापूर्ण व्यवहारः</u>– अन्त में, समस्त पुलिस जनों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे महिलाओं के साथ भद्र एवं शालीन व्यवहार करें। वे कोई ऐसा कृत्य न करें, जिससे उ0प्र0 पुलिस की गौरवशाली परम्परा लेशमात्र भी प्रभावित हो। महिला वादिनी एवं गवाहों को बयान एवं अन्य विवेचनात्मक कार्यवाही हेतु थानों, चौकियों एवं अन्य पुलिस कार्यलयों पर कदपि न बुलाया जाये। विधिक कार्यवाहियों को सुनिश्चित कराने के लिये उनके निवास स्थान पर महिला पुलिस कर्मी को साथ ले जाकर की आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये। महिला अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु गठित टीम में महिला पुलिस कर्मी अवश्य सम्मिलित हो एवं इस सम्बन्ध में सी0आर0पी0सी0 द्वारा स्थापित नियमों एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर पारित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये। महिला वादिनी एवं गवाहों से अनावश्यक एवं अमर्यादित पूछताछ का पूर्णतया निषेध किया जाये।

मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप महिलाओं के विरूद्ध हो रहे अपराधों को रोकने के लिए उपरोक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेगें।

भवदीय,

29.7.19

(ओ0पी0 सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
<u>प्रभारी जनपद–उत्तर प्रदेश।</u>

<u>प्रतिलिपिः</u> निम्नांकित को कृपया सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतुः–

1. अपर पुलिस महानिदेशक, वीमेन पावर लाइन–1090, उ0प्र0, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0, लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उ0प्र0, लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, डायल–100, उ0प्र0, लखनऊ।
5. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
6. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, उ0प्र0।

Scanned by CamScanner